

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

मोहनदास बनाम श्रीमती कमलेश

फैसल मुकदमा प्री.पत्रा 111-128 नं० 16 सन् 2023

क्र.सं.	हुकम .या कार्यवाही गय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------	-----------------------------------	--

1-23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 14-2-23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल

14/23

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता द्वारा न्यायिक कार्य रोक कर रखने से पत्रावली दिनांक 14/23 को पेश हो।

14/23

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता द्वारा न्यायिक कार्य रोक कर रखने से पत्रावली दिनांक 14/23 को पेश हो।

28/23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर डाक्टर हुए जिले शाखपठ किये शयै। विपक्षीगण को कितनी बार-बार-बार कर आम्हाजे खिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, बल्कि विकल्प एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का खर्चा पत्रावली किया जाकर निर्णय पृष्ठक से छिरवा धाकर शाखपठ किया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर अन्तर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 16/23 माण्डल

1- श्री मोहनलाल vs. श्री गोपाल लाल सोनी जियासी- गगवानपुरा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती कमलेश vs. श्री मोहनलाल सोनी जियासी- गगवानपुरा तहसील-माण्डल
2- राजराम राठौ पारि तहसीलदार साठ माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28-03-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गगवानपुरा पटवार हल्का गगवानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं 5095/363, 5096/363, 5433/363 कुल किता 0.3 रकबा 1.0117 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी भुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16-01-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक व न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गगवानपुरा पटवार हल्का गगवानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 5095/363, 5096/363, 5433/363 कुल किता 0.3 रकबा 1.0117 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुंख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक गगवानपुरा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा